आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य तथा
श्री परेश एम. जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 293/इंदौर/2023
निर्धारण वर्ष : 2016-17

कंचनतारा देवकॉन प्रा.लि., 17, लोहिया मार्ग, शुजालपुर मंडी, शाजापुर	बनाम	आयकर अधिकारी , शाजापुर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएईसीके 7441 सी PAN- AAECK7441C		

अपीलार्थी की ओर से	श्री सौम्य बंब, सीए
राजस्व की ओर से	श्री रामकुमार यादव, आयकर आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	25.03.2025
उद्घोषणा तिथि	25.03.2025

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-3, भोपाल के आदेश दिनांक 06.06.2023 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर अधिकारी, शाजापुर के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 से उद्भूत है ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024**" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 के द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया है । निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 1 की प्रति भी दाखिल की गई हैं । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने की इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील

को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किए गए आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 25.03.2025 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(परेश एम.जोशी)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 25.03.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल